न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 654 / 2024
अनवान : –

1. रवि शंकर पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील ।

– वादी

बनाम्

1. सीता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. कमला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।
3. पूजा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।
4. रामेती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. सीलोचना पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 23/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 10 / 7 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.6870 है0 भुमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वा रोही मोजा 7 केकेएमए तहसील पल्लू के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 10 / 7 के कुल खसरे 19 की कुल 4.2150 है. भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के नाम खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 व ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है। ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाई व माता के पक्ष मे परित्याग चुकी है इसी प्रकार वाद हकत्याग मताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 10 / 7 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.6870 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है वा रोही मोजा 7 केकेएमए तहसील पल्लू के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 10 / 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के कुल खसरे 19 की कुल 4.2150 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा करवाकर खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ओमप्रकाश, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतादीगण संख्या 2 ता 5 व ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है। ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:26 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक[illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में [illegible]तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 17

अधिकारी
नोहर

आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 10/7 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.6870 है0 भुमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वा रोही मोजा 7 केकेएमए तहसील पल्लू के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 10/7 के कुल खसरे 19 की कुल 4.2150 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के नाम खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 व ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है। ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक ओमप्रकाश के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 10/7 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.6870 है0 भुमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा 7 केकेएमए तहसील पल्लू के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 10/7 के कुल खसरे 19 की कुल 4.2150 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में से मृतक ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/7/24...... को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:26 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 654/2024

अनवान : –

1. रवि शंकर पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील ।

– वादी

बनाम्

1. सीता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. कमला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।
3. पूजा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।
4. रामेती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. सीलोचना पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 654 सन 2024 निर्णय दिनांक 23/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 10/7 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.6870 है0 भुमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा 7 केकेएमए तहसील पल्लू के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 10/7 के कुल खसरे 19 की कुल 4.2150 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में से मृतक ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/7/24...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:26 IST
Reason: SelfAttested